प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख		तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of mading over the copy to the applicant
3/10/16	3/10/16	3/10/16	4/10/16	4/10/16

N.K. Nigam

FOLIO NOT AVAILABLE

स्च्ची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 547 E

खाता नं० 27 वार्ड सं० 9 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव / थाना — मोहल्ला / पट्टी — परगना — थाना सं० — तौजी सं०

स्वत्वाधी का नाम और उसकी खेवट संख्या
मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो

सड़क सरकारी

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत: खेसरा संख्या	खेत: चौहदी	भूमी का स्वरूप	रकवा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान के हरेक प्लाट के सामने बताए कि उसपर कब्जा कैसे है: राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उक्त लगान यदि है 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रैयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस दर पर नियत किया गया आरोही (प्रोग्रेसिव होल्डिंग विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुषंगत बातें यदि हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	अमूक सिंह पिता धन्ना सिंह /	546	उ० राममाझी इनिज	दोन एक 1	0.10.30				नोट सी० एनटी० एक्ट धारा 85(1)(i) के मुकदमा नं० 12(R) सन् 2000-2001 के आदेशानुसार - 31 रू० 30 पैं० (तिरतीस चौदह रूपये तीस पैसे) अतिरिक्त सेस लगान निर्धारित हुआ / निर्धारित लगान सन 1998-99 से बसूल होगा /
		547	उ० राममाझी इनिज	दोन एक 8	0.74.50				
		2			0.84.80		(i) कायम लगान	(i) कायम	

एडिशनल राजस्व पदाधिकारी

प्रतिलिपिक 4.10.16

तुलना किया

Certified to be True Copy

Head Clerk to the Settlement office is authorised U/s 76 of the Indian Evidence Act 1872

यह स्वत्व अभिलेख छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका संशोधन अधिनियम 1950 की धारा 101(1) के अधीन तैयार किया गया है। [illegible] दिनांक 10/10/1939 को प्रकाशित प्रारूप पर दिनांक 10/10/1939 को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया गया।